| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मुकदमा नम्बर– 314 / 2023<br>गोपाल सिंह बनाम तहसीलदार<br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

30.09.2024

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम ढाणी खसवासा पटवार हल्का खेदड़ा की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 108 के खसरा नम्बर 144 रकबा 2.8700 है0 व अन्य भूमि खाता संख्या नया 164 के खसरा संख्या 162 रकबा 0.49 हैक्टर खसरा संख्या 163 रकबा 0.46 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.95 हैक्टर अवस्थित हैं प्रार्थना पत्र के पैरा न. 1 में वर्णित भूमीयों में आवेदक नं 1 लगायत 2 व आवेदक नं 3 लगायत 4 के पिताओं के नाम से सहखातेदारी भूमी थी उसकी मृत्यु के बाद सहखातेदारी में आवेदक नं 1 लगायत 4 के नाम से दर्ज हो गयी तथा आवेदक नं 1 लगायत 2 के पिता व आवेदक नं 3 लगायत 4 के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों की गलती की वजह से गलत दर्ज हो गया। आवेदक नं 1 लगायत 2 के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल सिंह पुत्र रामेश्वर व सदर सिंह पुत्र रामेश्वर दर्ज है जो कि गलत है जबकि आवेदक नं 1 लगायत 2 के पिता का सही नाम प्रभू सिंह है इसी प्रकार आवेदक नं 3 लगायत 4 के पिता का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में रतन कंवर पुत्री जोरावरसिंह व सजनकंवर पुत्री जोरावरसिंह दर्ज है जो कि गलत है आवेदक नं 3 लगायत 4 के पिता का सही नाम राम सिंह है जिसको आवेकदगण अब दुरूस्त करवाना चाहते है इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमिय है। आवेदक नं 1 लगायत 2 के पिता की मृत्यु के बाद आवेदक नं 1 का नाम गोपाल सिंह पुत्र प्रभू सिंह व समदर सिंह पुत्र प्रभू सिंह के नाम से नामान्तरण दर्ज किया जाना था लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित भुमी में गोपाल सिंह पुत्र रामेश्वर व समदर सिंह पुत्र रामेश्वर दर्ज हो गया जबकि अन्य सभी दस्तावेजो में गोपाल सिंह पुत्र प्रभू सिंह व समदर सिंह पुत्र प्रभू सिंह दर्ज है इसी प्रकार आवेदक नं 3 लगायत 4 के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरण दर्ज रतनकंवर पुत्री रामसिंह व सज्जन कंवर पुत्री रामसिह के नाम से दर्ज किया जाना था लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में रतनकंवर पुत्री जोरावरसिंह, सज्जनकंवर पुत्री जोरावरसिंह दर्ज हो गया जो कि गलत है। राजस्व कर्मचारियों कि लापरवाही से आवेदकगण के पिता के नाम गलत दर्ज करने की वजह से आवेदकगण को उक्त भुमी सम्बन्धित कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है जैसे किस्म सुधार, बैंक द्वारा रहन व अन्य कृषि सम्बन्धित योजनाओं में काफी दिकतें आती है आवेदक जब अप्रार्थी के पास उक्त भुमी अपना व अपने पिता का नाम शुद्ध करवाने के लिये निवेदन किया तो अप्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड से आदेश लाने बाबत कहा जिस पर ही अप्रार्थी कार्यवाही करेगे इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमाजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 वर्णित भुमीयों में आवेदकगण का नाम गोपालसिंह पुत्र प्रभू सिंह, समदर सिंह पुत्र प्रभू सिंह, रतनकंवर पुत्री राम सिंह, सज्जनकंवर पुत्री राम सिंह दर्ज करने व दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार महोदय गुढा गौडजी को फरमाया जावें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार गुढागौड़जी को जरिये नोटिस वास्ते जबावदेही तलब किया गया। तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपने पत्रांक भू0अ0 / 2023 / 50 दिनांक 06.01.2023 द्वारा रिपोर्ट पेश की है जिसे शामिल मिशल किया गया। पत्रावली पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार गुढगौड़जी का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पर बगौर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातों यथा शपथ पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, फर्द रिपोर्ट तहसीलदार इत्यादि में भी यह तथ्य अंकित है कि श्री गोपाल सिंह व समदर सिंह के पिता का नाम प्रभू सिंह है जबकि जमाबंदी में रामेश्वर सिंह दर्ज हो गया है उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। रतन कंवर, सज्जन कंवर पुत्रिया रामसिंह हैं, इनके पिता का नाम जमाबंदी में जोरावर सिंह दर्ज हो गया है उक्त दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजातों एवं रिपोर्ट तहसीलदार गुढागौड़जी के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

**आदेश**

उक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम ढाणी खरबासा पटवार हल्का ढाणी खेदड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 108 के खसरा नम्बर 144 रकबा 2.8700 है0 व अन्य भूमि खाता संख्या नया 164 के खसरा संख्या 162 रकबा 0.49 हैक्टर खसरा संख्या 163 रकबा 0.46 हेक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.95 हैक्टर में आवेदकगण का नाम गोपालसिंह पुत्र प्रभू सिंह, समदर सिंह पुत्र प्रभू सिंह, रतनकंवर पुत्री राम सिंह, सज्जनकंवर पुत्री राम सिंह शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढगौड़जी को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को सुनाया गया।

30/09/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू